बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 418149 पटना, दिनांक:- 26/03/19

ग्रा0वि0- 5/प्र0आ0यो0(2018-19 क0) 102-09/2018

प्रेषक,

राजेश परिमल,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत Delay House तथा Extension Expired आवासों के लंबित किश्त का भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-414998 दिनांक- 05.03.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत वैसे आवास जिन्हें एक वर्ष पूर्व प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त/तृतीय किश्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया था, किंतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवास निर्माण कार्य की प्रगति नहीं हो पाने के कारण लंबित आवासों के द्वितीय किश्त/तृतीय किश्त भुगतान की प्रक्रिया अवरूद्ध हो गई थी, उन्हें भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय पूर्व में Extension Module से Extension प्रदान करने के प्रावधान को दिनांक- 31.03.2019 तक शिथिल करते हुए उन लाभुकों को द्वितीय/तृतीय किश्त के अंतरण हेतु निर्धारित स्तर (Plinth Level/ Roof cast Level) पर ही Order Sheet Generate कर उनके FTO का निर्माण करने का निदेश दिया गया था । किंतु आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 1,92,307 आवास वैसे है जिनके प्रथम किश्त के भुगतान के 12 माह से अधिक हो चुके है, किंतु वे अबतक निर्माणाधीन अवस्था में हैं । विदित हो कि शिथिलीकरण की अवधि दिनांक 31.03.2019 को समाप्त होने में मात्र 5 दिन शेष है । ऐसी स्थिति में सभी लंबित 1,92,307 (जिलावार विवरणी संलग्न) आवासों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है ।

अत: अनुरोध है कि Delay House तहत लंबित सभी आवासों को दिनांक- 31.03.2019 तक पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक: - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

26.3.19

(राजेश परिमल)
सरकार के उप सचिव

IAY 2558